अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/236

1. राधेश्याम आत्मज कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
2. सुगना बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
3. कैलाश बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
4. फूल बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. लाल चन्द आत्मज किशन कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
2. कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
3. सम्पत बाई पत्नी लाल चन्द जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. रमेश चन्द आत्मज कालूलाल जाति धाकड निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 138/दावा/2014

1. राधेश्याम आत्मज कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
2. सुगना बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
3. कैलाश बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
4. फूल बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. लाल चन्द आत्मज किशन कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
2. कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
3. सम्पत बाई पत्नी लाल चन्द जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. रमेश चन्द आत्मज कालूलाल जाति धाकड निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 12.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

12.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/236

1. राधेश्याम आत्मज कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
2. सुगना बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
3. कैलाश बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द ।
4. फूल बाई पुत्री कल्याण जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लाल चन्द आत्मज किशन कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
2. कमलेशी बाई पुत्री मदन ।
3. सम्पत बाई पत्नी लाल चन्द जाति नट निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. रमेश चन्द आत्मज कालूलाल जाति धाकड निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादीगण के खाते व कब्जे में खसरा नम्बर 366 की रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 की 0.9500 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 9700 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता कलयाण वल्द किशाोर जाति नट निवासी देवलीखुर्द के खाते दर्ज है । वादीगण के मृतक पिता कल्याण मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 20.10.2014 को मृतक कल्याण के वादीगण वारिसान विरासत से खाते दर्ज हुई । प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः स्थायी निषेधाज्ञा वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण कम 1 से 3 प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जावे तो उन्हें इस आराजी से बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के द्वारा वादी का वाद पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा अनुसार स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजीनामा करते समय पक्षकारान ने कभी भी सीमाज्ञान की इच्छा व्यक्त नहीं की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा में सीमाज्ञान कराने की बात अंकित कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट का दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करने के साथ–साथ पैमाइश कराने का भी आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजीनामा करते समय पक्षकारान ने कभी भी सीमाज्ञान की इच्छा व्यक्त नहीं की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा में सीमाज्ञान कराने की बात अंकित कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की भूमि पर जबरन कब्जा करने को तत्पर है और आये दिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं । इस कारण रेस्पोडेन्ट को कब्जा नहीं करने व अपीलान्ट वादीगण को बेदखल करने तथा कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित किया है । पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिस पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है । उक्त राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया है जिस पर अपीलान्टगण के अंगूठा निशानी है ।

9. लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश करने पर ही निर्णय पारित किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में भी पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है जिसमें अपीलान्टगण की अंगूठा निशानी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के आधार पर पक्षकारान के राजीनामा पेश करने पर उक्त निर्णय पारित किया है। यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि निर्णय राजीनामा के अनुसार नहीं हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं है । इस कारण हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी कम 5 संतोषबाई को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपील मीमो में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि उन्हें पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है । इस प्रकार अपील Non joinder of necessary parties के नुक्स से भी प्रभावित है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. *निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।*

12.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा